हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/2/19	वकुलाव उप०। प्रा॰ नं॰ 9, 10, 20, 25, 26 को बार बार आवाजें दिलाई गई। बावजूद हाजिर नहीं। [illegible] के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील [illegible] जवाब प्रा॰ पत्र पेश करने का समय चाहते हैं। दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 6/3/19 को पेश हो। SDO	
6-3-19	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य मे व्यस्त, वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 9-4 20.19 को पेश हों।	
9-4-19	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-5 20.19 को पेश हों।	
22/5/19	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 19\06\2019 को पेश हों।	
19/6/19	वकुलाव उप०। वकील [illegible] जवाब प्रा॰ पत्र पेश करने का समय चाहते हैं। दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 31-07-2019 को पेश हो। SDO	
31-7-19	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य मे व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 29-8 20.19 को पेश हों।	
29/8/19	वकुलाव उप०। वकील प्रति-[illegible] 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 19 व 22 जवाब प्रा॰ पत्र पेश नहीं कर अन्तरिम आस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस हेतु तैयार हैं। [illegible] 28 ने निवेदन किया कि [illegible] प्रा॰ पत्र [illegible] सं॰ 28 [illegible] के बाद [illegible] पश्चात हैं।	Ramkaran. [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तारीख
	इस प्रकरण में अ.सं. 11 से 14 की बाबत यह प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अ.सं. नं. 11 से 14 ने अपनी सम्पूर्ण जमीन जरिये पंजीकृत बेचान के दिनांक 25/7/14 को प्रार्थी को बेचान कर दी है तथा मौके पर कब्जा भी प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया है। बेचान से अ.सं. नं. 11 से 14 की सम्पूर्ण जमीन पर प्रार्थी (अ.सं. नं. 28) काबिज है। बेचान दस्तावेज के आधार पर अ.सं. उक्त प्रकरण में अ.सं. पक्षकार है लेकिन इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र में विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से अ.सं. को पाबन्द किया गया है जिससे प्रार्थी को अपने बेचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद यानि नामान्तरण करवाने में कठिनाई आ रही है। अतः आदेश में अ.सं.नं. 28 के बेचान दस्तावेज पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से छूट दिये जाने का आदेश करावे। चूंकि इस प्रकरण में दिनांक 18/1/18 को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से अ.सं. को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है। इस पर वकील अ.सं. ने अपनी सहमति से न्यायालय हाजा में जाहिर किया कि वह अ.सं. विवादित आराजी का बेचान हस्तान्तरण आदि नहीं करेंगे। अतः उक्त आदेश दिनांक 18/1/18 से राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये	

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने के आदेश का बैनामा हस्तान्तरण आदि नहीं करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक पुरस्कृत किया जाता है तो उन्हें (प्र.प.) को कोई आपत्ति/ऐतराज नहीं है। इस पर वकील वादी ने भी अपनी सहमति जाहिर की। वाद आदेशिका पर वकील वादी एवं गैर वादीगण के सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये। पत्रावली का एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वकुलाय की बहस एवं दलीलों पर गौर कर मनन किया गया। वास्तुतः इस प्रकरण के विवादित आराजी के बैनामा, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक प्र.प. को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विवादित मौजा निरोल, पटवार हल्का निरोल तह० [illegible] के स्थित कृषि भूमि ख.नं. 372 रकबा 0-11 बीघा, ख.नं. 373 रकबा 95-16 बीघा कुल खसरे-2 कुल रकबा 96-07 बीघा में से बैनामा, हस्तान्तरण आदि नहीं करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक प्र.प. को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है परन्तु विवादित आराजी के प्र.प. सं. 28 मुकेश ... अपने बैनामा दस्तावेज के आधार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश जारी हो। /5.9.20	